# कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल औबेदुल्लागंज

O.Ganj Pincod No. 464993, E-mail dfotogunj@mp.gov.in,Fax No. 07480-224911, Phone No. 07480-224062


क्रमांक/सामान्य/ 139          औ.गंज/दिनांक 18.01.17

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक
भोपाल वृत्त भोपाल

विषयः– **वन अपराध प्रकरण क्रमांक 4111/20 दिनांक 12.05.13 रक्त चंदन प्रकरण में निवर्तन के संबंध में।**

संदर्भः– **आपका पत्र क्रमांक/राजस्व/338 दिनांक 16.01.17**

——xx——

852
27/1/17

विषयांतर्गत निवेदन है, कि वन अपराध प्रकरण क्रमांक 4111/20 दिनांक 12.05.13 जप्त शुदा रक्त चंदन के निवर्तन हेतु माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गौहरगंज द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.16 के संबंध में विधिवेता से सम्पर्क कर अभिमत प्राप्त करने हेतु प0अ0 चिकलोद को निर्देशित किया गया उन्होने जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन से माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गौहरगंज के निर्णय के परिपेक्ष्य में अभिमत प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है, अतः रक्त चंदन के निवर्तन बावत् आगामी कार्यवाही कराने का कष्ट करे।

संलग्नः– जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन
का पत्र क्र./07/अभि./17 दि. 07.01.17

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल औ0गंज

परीक्षण कर सत्यापित किया जाता है कि इस पत्र पर वृत्त कार्यालय के राजस्व कक्ष द्वारा निम्न कार्यवाही किया जाना है।

..........................................

..........................................

संलग्न अधिकारी      25/1      अधीक्षक

मु.व.सं.

# कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी (सामान्य) चिकलोद

क्रमांक/ 56 दिनांक 12-

प्रति,

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय,
(सामान्य) वनमण्डल औबेदुल्लागंज

द्वारा :- श्रीमान उप वनमण्डलाधिकारी महोदय (सामान्य) औबेदुल्लागंज

विषय :- वन अपराध प्रकरण क्रमांक 4111/20 दिनांक 12.05.2013 में जप्त रक्तचन्दन वनोपज के निवर्तन के संबंध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/सामान्य/6492 दिनांक 29.12.16 एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन का पत्र क्रमांक/07 दिनांक 07.01.2017

----000----

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में जप्तशुदा वनोपज रक्तचन्दन के निवर्तन के संबंध में श्रीमान जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन का अभिमत प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न :- सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति

वन परिक्षेत्राधिकारी
(सा0) चिकलोद

18/1/17

## कार्यालय–जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला–रायसेन म0प्र0

क्रमांक /07/अभि0 / 17 रायसेन, दिनांकः–07 / 01 / 17

प्रति,

वन परिक्षेत्राधिकारी,
(सा0) चिकलोद
जिला–रायसेन म0प्र0।

विषयः– वन अपराध प्रकरण क्रमांक 4111 / 20 दिनांक 12.05.2013 में जप्त रक्तचन्दन वनोपज के निवर्तन के संबंध में।

संदर्भः– कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी (सामान्य) चिकलोद का पत्र क्र0 / 18,दिनांक 06 / 01 / 17

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत वन अपराध की केस डायरी एवं पत्र के साथ संलग्न न्यायालय जे.एम.एफ.सी. गौहरगंज के आदेश पत्रिका दिनांक 18.10.16 का परिशीलन किया गया। जिससे स्पष्ट दर्शित है कि दिनांक 31.01.2014 को उप वनमण्डलाधिकारी, उप वन मण्डल औबेदुल्लागंज द्वारा उक्त वन अपराध में जप्तशुदा ट्रक क्र0 एम.एच. 04 डी.एस. 5955 मय 12935 किलोग्राम रक्तचन्दन राजसात करते हुये आदेश निर्गत किया गया है। उक्त आदेश की सूचना उपरोक्त न्यायालय को भी दी गई है। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध नियत समयावधि में कोई अपील / रिवीजन भी अनावेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जाना दर्शित है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्यायालय की दिनांक 18.10.16 की आदेश पत्रिका में स्वयं को निवर्तन संबंधी आदेश से विरत रखने का आदेश न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के अंतिम आदेश के अध्याधीन रहते हुये राजसात सम्पत्ति के संबंध में निवर्तन की प्रकिया करने हेतु बिधिक रूप से वन विभाग के सक्षम अधिकारी को कोई बाधा दृष्टिगोचर नहीं होती।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला लोक अभियोजन अधिकारी
रायसेन (म.प्र.)